(4) रूहानी अंजुमन, दिल्ली; गुरू-देव शहनशाह गोदारीवाला, गुजरात की यात्रा के लिए।

पाकिस्तान की सरकार से स्वीकृत धार्मिक स्थलों की सूची में पारस्परिकता के आधार पर विस्तार करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया है ताकि उपर्युक्त धार्मिक स्थलों को भी इसमें शामिल किया जा सके। लेकिन उनका कहना है कि फिलहाल भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा दलों की यात्राएं अभी पूर्ण स्वीकृत तीर्थ स्थलों तक ही सीमित रखी जाएं ।

सरकारी काम में हिन्दी का प्रयोग

2322. **श्री नावाब सिंह चौहान** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में हिन्दी में काम करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं और इस कार्य की देखभाल करने वाले अधिकारियों का स्तर क्या है ;

(ख) हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य हो इसके लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं और भविष्य के लिए इस बारे में क्या योजनायें हैं ; और

(ग) क्या इस कार्य की समीक्षा करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की गई है और यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी): (क) और (ख). इस मंत्रालय में एक हिन्दी अनुभाग है जो संयुक्त सचिव के दर्जे के एक अधिकारी के अधीन कार्य करता है जिसकी सहायता के लिए एक विशेषाधिकारी है । स्पष्टत: बढ़े हुए काम को पूरा करने के लिए और हिन्दी के प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए समुचित कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें पदों की संख्या की वृद्धि भी शामिल है ।

(ग) जी, नहीं । लेकिन इस मंत्रालय में केन्द्रीय हिन्दी समिति की उपसमिति है और इसके पुनर्गठन के विषय में विचार किया जा रहा है ।

रबूपुरा (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन कनेक्शन

2323. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की टेलीफोन सलाहकार समिति ने 6 या 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जिला बुलन्दशहर के रबूपुरा कस्बे में टलीफोन सेवायें प्रदान करने की सिफारिश की थी ;

(ख) क्या मुरादाबाद सर्किल ने यहां टेलीफोन लगाने के लिए खम्भे और तार खींचे थे;

(ग) क्या निहित स्वार्थों के कारण वहां अभी तक टेलीफोन नहीं लग पाये हैं जिसके परिणामस्वरूप यहां के व्यापार को काफी हानि हो रही है ; और

(घ) सरकार का विचार वहां टेली-फोन कब तक लगाने का है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (घ). वर्ष 1969 में रबूपुरा में एक छोटा आटोमैटिक एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव रखा गया था । वहां के लिए टेलीफोन लेने के इच्छुक केवल 5 व्यक्तियों ने ही अपनी मांग दर्ज कराई थी । इसलिए वहां एक्स-

चेंज खोलना आर्थिक दृष्टि से लाभकर न होने के कारण एक्सचेंज नहीं खोला गया। यदि वहां कम से कम 10 व्यक्ति टेलीफोन लेने के लिए अपनी मांग दर्ज करायें तो एक्सचेंज खोला जा सकता है ।

रबूपुरा में पी० सी० ओ० खोलने के लिए तार और खम्भे खड़े किये गये हैं और पी० सी० ओ० वहां अगस्त 1967 से काम कर रहा है ।

Passports for Saudi Arabia, Bahrain and Kuwait

2324. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the difficulties involved in obtaining passports endorsed for Saudi Arabia, Bahrain and Kuwait;

(b) whether Government have issued any circular directives to passport authorities to discourage or refuse endorsements for the above mentioned countries; and

(c) what steps, if any, have been taken to see that the difficulties are removed and necessary endorsements are made.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) Yes, Sir. Some complaints were received from public.

(b) and (c). Under the Emigration Act, 1922, the Central Government is responsible for protection and proper treatment of emigrants. Under the Act, the emigration of the following categories of persons to any country is not permitted:—

Sweepers, minor girls/boys and Indian nationals who intend to go to take up domestic employment with foreigners.

When instances were brought to the notice of the Government by our Missions that the terms and conditions offered to the Indian workers were not found to be in conformity with the terms and conditions offered to the workers of the nationalties, instructions were issued to the RPOs that in order to safeguard the interests of our nationals, all applications for those intending to go to Saudi Arabia for employment should be carefully examined in the light of the recommendations made by our Mission.

People, who go for pilgrimage to Saudi Arabia during the 'Haj' period are issued pilgrimage passes and those who go for pilgrimage other than the 'Haj' period are required to produce Statutory Declarations duly attested by our Embassy in Jeddah. Persons going for the purpose of 'Social visits' or 'tourism' are also required to furnish Statutory Declarations attested by our Mission.

Kuwait and Bahrain:

There are no special restrictions.

Reconstitution of Haj Committee

2325. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether re-constitution of Central Haj Committee is long over-due;

(b) if so, the reason for continuous postponement of the reconstitution of the said Haj Committee; and

(c) whether Government propose to reconstitute the Committee soon; and, if so, by what time?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE): (a) to (c). Under the Haj Committee Act 1959 the term of office of the members of the Committee shall not normally be less than